तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर ... अहलकार ... इस हुक्म ... तामील में जारी हुए
	सारहीन तथा गलत दर्ज कराई गई है जिसे एतद् द्वारा खारिज फरमाया जाता है। पत्रावली वास्ते रास्ते सम्बन्धी मौका रिपोर्ट पर बहस हेतु पत्रावली आइन्दा दिनांक 24/02/25 को पेश हो।	
24/02/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। वकील प्रार्थी ने तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त मौका रिपोर्ट पर बहस सुनने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिससे प्रतीत होता है कि रास्ते संबन्धी आवेदन स्वीकार करने योग्य है। अतः रास्ते सम्बन्धी निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से कम हो।	

सेवा में

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.05.05 20:52:12 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन– 42/2024 अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उनवान :–

प्रार्थी :– 1. ईस्माईलखां पुत्र सिदिक जाति मुसलमान, निवासी सालारिया तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण :– 1. दिनेश कुमार पुत्र रिखबदास जाति ओसवाल (जैन), निवासी ढाणी बाजार (बाड़मेर) तहसील बाड़मेर, जिला बाड़मेर।
2. तहसीलदार सेड़वा।

वकील प्रार्थी :– श्री आम्बाराम पुनड़

वकील विप्रार्थी :– श्री मुकेश जैन

निर्णय

दिनांक 24.02.2025

प्रार्थी ईस्माईलखां पुत्र सिदिक जाति मुसलमान निवासी सालारिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एक काश्तकार है। प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जाशुदा खेत मौजा सालारिया पटवार हल्का सालारिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सेड़वा तहसील सेड़वा के खसरा सं. 137 रकबा 8.7007 हैक्टर भूमि का आया हुआ है जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है तथा अपने रहवासी हेतु ढाणियों, टांके व मवेशियों के बाड़े आदि बने हुए है। प्रार्थी की जोत व ढाणियां पर आने जाने के लिए विप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी मौजा सालारिया पटवार हल्का सालारिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सेड़वा तहसील सेड़वा के खेत खसरा संख्या 135 क्षेत्रफल 5.6494 हैक्टर काश्त के समय प्रार्थी की जोत खसरा संख्या 137 रकबा 8.7007 हैक्टर के चारों ओर के काश्तकार अपनी काश्त कर लेते है जिससे प्रार्थीगण को अपनी जोत से सड़क मार्ग जाने के लिए बाधित हो जाते है। एवं हर बार रास्ते को लेकर [illegible] विरोध होता है। झगड़ा होने की संभावना बनी रहती है। जिस हेतु प्रार्थीगण द्वारा आवेदन प्रस्तुत [illegible] इस्तदुआ चाही गई।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए। विप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता मुकेश जैन ने वकालतनामा पेश किया। अधिवक्ता विप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के बारे में जवाब पेश [illegible] न्यायालय द्वारा उचित अवसर दिए गए लेकिन उनके द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया, जिसके कारण उन[illegible] बंद किया जाता है। अधिवक्ता प्रार्थी [illegible] का निवेदन किया, जिस द्वारा न्यायालय से प्रकरण में तहसीलदार सेड़वा से मौका [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.05.05 20:52:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

उनवान– ईस्माईलखां बनाम दिनेश कुमार वगैरा
राजस्व आवेदन संख्या 42/2024

...र न्यायालय के पत्रांकः रीडर/2024/124 दिनांक 21.03.2024 द्वारा मौका जांच रिपोर्ट तलब की गई जो कि कार्यालय तहसीलदार सेड़वा के पत्रांकः भू.अ./2024/803 दिनांक 05.04.2024 द्वारा न्यायालय को प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के संबंध में अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रारम्भिक आपतियां प्रस्तुत की, जिस पर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पदवार जवाब पेश किया, जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त मौका प्रतिवेदन इस प्रकार है–

क्र.सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा संख्या	रकबा है.	रास्ते की ल0 व चौड़ाई फीट में	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	मौजा	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	दिनेश कुमार पुत्र रिखबदास कौम ओसवाल सा. बाड़मेर खातेदार	135	5.6494 हैक्टेयर	20.00 फीट	0.0240 हैक्टेयर	सालारिया	8490/– रूपये	बा.सो
	योग	1	5.6494 हैक्टेयर	–	0.0240 हैक्टेयर	सालारिया	8490/– रूपये	बा.सो

संलग्न नक्शे में प्रस्तावित रास्ते को बरंग लाल दर्शाया गया है। उक्त रास्ते में किसी प्रकार का मकान, कीमती पेड़ आदि नहीं है। प्रस्तावित रास्ते की भूमि मौके पर खाली है। प्रस्तावित रास्ते के अलावा निकटतम व वैकल्पिक रास्ते का अभाव है। ग्राम सालारिया के खसरा संख्या 135 की डीएलसी दर सिंचित (सड़क के पास) 57227 रूपये प्रति बीघा है। मौका प्रतिवेदन के संलग्न खसरा नक्शा व जमाबंदी मौका फर्द का अभिन्न अंग है।

प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेजों एवं मौका रिपोर्ट पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त चिंतन मनन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों, तथ्यों आदि पर बहस की, जिस पर न्यायालय द्वारा स्वस्थ चित्त से विचारण किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा दस्तावेजी साक्ष्यों पर युक्तियुक्त विचारणोपरांत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्वीकार योग्य प्रतीत होता है तथा प्रार्थी को जो रास्ता दिया जाना है, उसका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा संख्या	रकबा है.	रास्ते की ल0 व चौड़ाई फीट में	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	मौजा	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	दिनेश कुमार पुत्र रिखबदास कौम ओसवाल सा. बाड़मेर खातेदार	135	5.6494 हैक्टेयर	20.00 फीट	0.0240 हैक्टेयर	सालारिया	8490/– रूपये	बा.सो

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.05.05 20:32:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
सेड़वा

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

उनवान– ईस्माईलखां बनाम दिनेश कुमार वगैरा
राजस्व आवेदन संख्या 42/2024

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी/संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (a) में स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है तो जिला स्तरीय कमेटी/डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थीगण को रास्ता दिया जा सकता है और अन्य कोई पेड़ फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

प्रार्थी के आवेदन की गंभीरता व अत्यधिक आवश्यकता के दृष्टिगत उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1)–(b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 30.03.2024 मय फर्द एवं संलग्न आंशिक नक्शा ट्रेस लाल रंग से दर्शाया गया है जिसके अनुसार 20.00 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थी के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थी क्षतिपूर्ति राशि नियमानुसार डीएलसी दर की दो गुना राजकोष में अदा करेगें। मौका रिपोर्ट दिनांक 30.03.2024 मय फर्द व नक्शा निर्णय का अनिवार्य अंग रहेंगे। प्रार्थी को उक्त खसरा में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तो की पालना अनिवार्य होगी :–

1. तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में संलग्न आंशिक नक्शा ट्रेस में दर्शाया गया है कि प्रस्तावित नए रास्तें में समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुना राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी।
2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त निर्धारित राशि का भुगतान प्रार्थी द्वारा प्रभावित पक्षकार (विप्रार्थी) को नए रास्तें में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुना के बराबर होगी।
3. प्रार्थी द्वारा नए प्रस्तावित रास्तें में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि तहसीलदार सेड़वा को प्रदान करने के उपरान्त ही स्वयं द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जायेगा।
4. नए प्रस्तावित 20 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "गैर मुमकिन रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।
5. प्रार्थी को उक्त 20 फीट चौड़े रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होंगे।
6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जायेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.05.05 20:52:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

सहायक कलक्टर सेड़वा

उनवान– ईस्माईलखां बनाम दिनेश कुमार वगैरा
राजस्व आवेदन संख्या 42/2024

उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थी को नया रास्ता दिए जाने हेतु आज दिनांक 24.02.2025 को आदेश किया जाता है। मौका फर्द मय नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेंगे। निर्णय पालना हेतु तहसीलदार सेड़वा को लिखा जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर, दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

सहायक कलक्टर सेड़वा

24.02.2025

(बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.05.05 20:52:12 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व आवेदन सं. 09/2024 (42) इस्माईल बनाम दिनेशकुमार
अन्तर्गत राज० काश्तकारी अधिनियम में

मौका रिपोर्ट
(धारा 251(A) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत)

मैं ....वस्ताराम.......... (नाम) भू. अभिलेख निरीक्षक वृत्त..........सेड़वा.........., कार्यालय, तहसीलदार ....सेड़वा.......... के आदेश कमांक/745-746 दिनांक 26/3/24 की पालना में भूमि की मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु आज दिनांक 30/03/24 समय ....बजे आराजी खसरा नम्बर-..135.... वाके ग्राम सालारिया पटवार मंडल सालारिया पर श्री .... पटवारी के साथ मौके पर पहुंचा।

समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस कमांक/...488... दिनांक 28/03/24 द्वारा जारी किये गये थे जिनकी तामील विधिवत रूप से करवायी गयी। समस्त पक्षकारों में से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित थे :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	प्रार्थी/अप्रार्थी
1.	ईस्माईल	पुत्र सिदिक	52	मुसलमान	प्रार्थी
2.	युसब खां	पुत्र सिदिक	60	मुसलमान	प्रार्थी
3	सफी मोहम्मद	पुत्र सिदिक	42	मुसलमान	प्रार्थी

Ex-Count
24/02/25
सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

विप्रार्थी दिनेशकुमार पुत्र रिखबदास कौम ओसवाल को सूचित करने के उपरान्त भी मौके पर उपस्थित नहीं हुआ।

उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मौका मुआयना किया गया एवं मौका रिपोर्ट निम्नानुसार तैयार की गई :-

क्र. सं.	खातेदार मय पता	खसरा	रकबा (हे.)	रास्ते की चोड़ाई	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	मौजा	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत	भूमि किस्म
1.	दिनेशकुमार पुत्र रिखबदास कौम ओसवाल सा० बाड़मेर खातेदार	135	5.6494 हे	20 फीट	0.0240 हैक्टर	सालारिया	8490/- रुपये	बा० सोयम
					0.0240		8490/-	रु.

संलग्न नक्शे में प्रस्तावित रास्ते .... उक्त रास्ते में किसी प्रकार का मकान, कीमती पेड़ आदि नहीं है .... की भूमि मौके पर खाली है प्रस्तावित रास्ते की के अलावा निकटतम व वैकल्पिक रास्ते का अभाव है ग्राम सालारिया के खसरा सं. 135 की DLC दर सिंचित (सड़क के पास) 5...27/- रुपये प्रति बीघा है संलग्न नक्शा मौका फर्द का अभिन्न अंग है।

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा
प० सालारिया
ILR सेड़वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.05.05 20:52:12 IST
Reason: SelfAttested

उक्त मौका रिपोर्ट उपस्थित पक्षकारों और मौतबिरानों को पढ़कर सुनायी गई। मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ़, सुन एवं समझ कर निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	जाति	हस्ताक्षर	प्रार्थी/अप्रार्थी
1	ईस्माईल	पुत्र सिदिक	मुसल०	इस्माईल	प्रार्थी
2	जुसब	पुत्र सिदिक	मुसल०	जुसब	
3	सफी मोहम्मद	पुत्र सिदिक	मुसलमान	सफी	

निम्न पक्षकारों ने मौका रिपोर्ट पढ़, सुन, समझ कर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	प्रार्थी/अप्रार्थी
—	Nil —				

Ex-Court
24/02/25
सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

मौके पर उपस्थित अन्य मौतबिरान को भी उक्त मौका रिपोर्ट पढ़कर सुनायी गयी और उनके निम्न प्रकार हस्ताक्षर करवाये गये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	पता/ मोबाईल नं.	
1	खमीशाखां	पुत्र मीठाखां	50	मुसलमान	सा० सालारिया	खमीशा
2	कादरखां	पुत्र ईस्माईलखां	30	मुसलमान	सा० सालारिया	

इस प्रकार आज दिनांक 30/03/24 को यह मौका रिपोर्ट तैयार की गई है।

हस्ताक्षर
पटवारी
प. मं. सालारिया

हस्ताक्षर
भू. अ. निरीक्षक भू.अ. सेड़वा
30/3/24

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.05.05 20:52:12 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

NIC-BHUNAKSHA

जिला : बाड़मेर

तहसील : सेड़वा

दिनांक : 30/03/2024 11:53:15 AM

भू. अ. नि. क्षेत्र : सेडवा

पटवारी हल्का : सालारिया

ग्राम : सालारिया

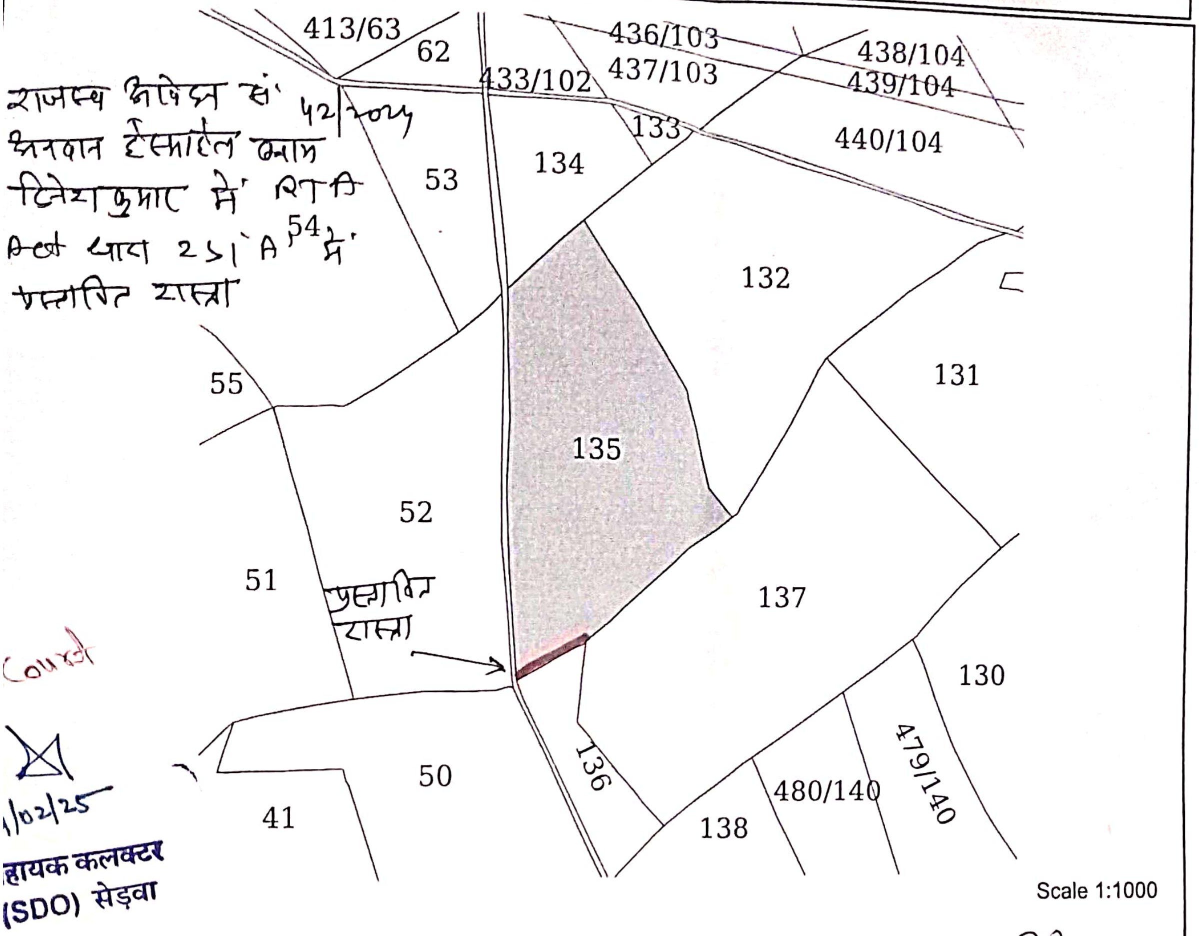

खसरा संख्या :135 क्षेत्रफल : 5.6494 Hectare खाता संख्या : 141पुराना खाता संख्या :118

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: बा.सोयम [5.6494, 1.07]

.) दिनेशकुमार पुत्र रिखबदास हिस्सा- पूर्ण जाति- ओसवाल सा. बाड़मेर खातेदार

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें। ULPIN no : null

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.05.05 20:52:12 IST
Reason: SelfAttested